न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 16 / 2023
अनवान :–

1. रोशनी पत्नी रणजीत जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

सायला

बनाम्

1. भतेरी पत्नि जगदीश जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री राजपाल झोरड, अभिभाषक, प्रार्थी
श्री हवासिह पूनिया अधिवक्ता अप्रार्थी 1 ,2

निर्णय दिनांक : 15/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 13 जीजीएम के प0न0 378 / 470(38) के किला न0 12 / 0.2530 ,13 / .2530 ,18 / .2530 ,19 / 0.2530 ,22 / .2530 ,23 / .2530 प0न0 378 / 471(40) के किला न0 13 / 0.2530 कुल 1.7710हैक भूमि जिसकी सायला खातेदार काश्तेकार है।

रोही मौजा चक 13 जीजीएम के प0न0 378 / 471(40) के किला न0 2 / 0.2530 ,3 / 1 की 0.240 ,3 / 2 की 0.0130 ,4 / 0.2530 ,7 / 0.2530 ,8 / 0.2530 ,9 / 0.2530 ,10 / .2530 ,कुल 1.7710हैक भूमि गैरसायल संख्या 1 की खातेदारी भूमि है।

रोही मोजा चक 13 जीजीएम के प0न0 378 / 470(38) के किला न0 12 / .2530 ,13 / .2530 ,18 / .2530 ,19 / .2530 ,22 / 0.2530 ,23 / 0.2530 कुल 1.7710हैक भूमि गैरसायल संख्या 2 की खातेदारी भूमि है।

सायलान अपने खेत मु0न0 38 के किला न0 2 में सिचाई हेतु पानी की डिग्गी बना रखी है जिसमें वादी सगड करके सिचाई करती है चुकि सायल का बाकी खेत मु0न0 40 में किला न0 11 ,12 ,19 कुल 0.729हैक भूमि है जिसकी व तन्हा खातेदार काश्तकार है गैरसायल संख्या 1 ,2 मु0न0 38 के किला न0 40 में कृषि भूमि है अर्थात सायला के दोनो खेतों के मध्य बीच में स्थित है जिस कारण से वह अपने खेत मु0न0 40 के किला न0 11 ,12 ,19 में सिचाई नही कर पा रही है इसलिये सायल गैरसायल संख्या 1 के खेत प0न0 378 / 470(38)किला न0 12 , 19 ,22 में से गैरसायल संख्या 1 के खेत प0न0 378 / 470 मु0न0 40 के किला न0 2 ,3 [illegible] तरफ पश्चिम की और जमीन में पाईप लाईन डालकर सिचाई [illegible]

सिचाई के अभाव में [illegible] काफी बार खराब [illegible]की है जिससे सायला को काफी नुकसान हो रहा है जिसका [illegible] भरपाई किसी प्रकार [illegible]म्भवन नही है इसलिये सायला अपने खेत में पाईप लाईन डालना चाहती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:52:56 IST
Reason: SelfAttested

..1

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायला ने गेरसायल संख्या 1 ,2 को कई बार कहा की उसे उनके खेत में से पाईप लाईन लाडने दी जावे ताकि वह अपने दुसरे खेत में सिचाई कर सके किन्तु गेरसायल संख्या 1 ,2 इन्कार हो गये इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 13 जीजीएम के प0न0 378/470(38) के किला न0 12 ,19 ,22 की भूमि जो गैरसायल संख्या 1 की भूमि है में से एवं प0न0 378/471(40) किला न0 2 ,9 की भूमि जो गैरसायल संख्या 1 की भूमि है में से उतर से दक्षिण की तरफ पश्चिम की और पानी की पाईप लाईन सायला के खेत प0न0 378/471(40) के किला न0 12 तक डालने की स्वीकृति प्रदान फरमावे।

सायला का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल संख्या 1 ,2 को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायलान जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायला के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की सायला ने गैरसायल के खेत में से पाईप लाईन डालने हेतु निवेदन किया गया है जबकि प्रार्थना पत्र से किसी भी प्रकार से स्पष्ट नही होता की पाईप लाईन डालकर पानी कहॉ से कहॉ जाना है सिर्फ आपसी नाराजगी होने की वजह से गैरसायलान को तगं परेशान करने की लिये झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है सायला सिचाई हेतु उतरादाता के खेत में से पाईप लाईन डालकर ले जाने की किसी कदर अधिकारणी नही है सायला एवं गैरसायलान के पूर्व में भी राजस्व व फोजदारी मुकदमें चले है इसी नाराजगी की वजह से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है सायला व गैरसायलान के खेत में आवागमन होता है तो आपसी नाराजगी की वजह से किसी भी समय किसी भी प्रकार की वारदात हो सकती है इसलिये बिना किसी उददेशय के प्रार्थना पत्र पेश किया गया है रोही मोजा चक 13 जीजीएम के प0न0 378/470(38) के किला न0 1 ,10 ,11 ,20 ,21 व प0न0 378/471(40) के किला न0 1 ,10 ,11 ,20, 21 के पश्चिमी साईड में आम सडक है जो सायला के खेत प0न0 378/471(40) के किला न0 11 के पास से है यदि सडक के चिपते हुए सायला पाईप लाईन डालती है तो किसी को ऐतराज नही है एवं सायला के लिये भी सुविधाजनक है सायला ने प्रार्थना पत्र केवल नाराजगी की वजह से पेश किया गया है सायला का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जबाब शामिल पत्रावली किया जाकर मौका रिपोर्ट ली जाकर शामिल की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायला के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की सायला अपनी खातेदारी भूमि दो टुकडो में है सायला के एक खेत में पानी की डिग्गी बनी हुई है जिससे वह अपनी खातेदारी भूमि की सिचाई करती है सायला के दुसरे [illegible] खेत है सायला अपने दुसरे खेत में सिचाई करने हेतु डिग्गी से [illegible] सिचाइ करना चाहती है जिसके लिये गैरसायलान [illegible] लाईन डालने की आवश्यकता है इसलिये सायला को गैरसायलान के खेत में से पाई[illegible] लाईन डालने की अनुमति प्रदान फरमावे सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पाईप लाईन डालने की अनुमति फरमावे।

..2

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:52:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लोहर

गैरसायलान संख्या 1 ,2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की सायला ने निजी नाराजगी की वजह से झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया है सायला की भूमि के पास से आम सडक चल रही है जिसके पास से पाईप लाईन डाल कर अपने दुसरे खेत तक पाईप लाईन ले जा सकती है जिसके सम्बध में किसी को कोई ऐतराज भी नही है तथा सुविधाजनक भी है आपसी नाराजगी के कारण गैरसायलान के खेत में पाईप लाईन डालने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है सायला को प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया

रोही मौजा चक 13 जीजीएम के प0न0 378／470(38) के किला न0 12／0.2530 ,13／.2530 ,18／.2530 ,19／0.2530 ,22／.2530 ,23／.2530 प0न0 378／471(40) के किला न0 13／0.2530 कुल 1.7710हैक्ट भूमि जिसकी सायला खातेदार काश्तेकार है।

रोही मौजा चक 13 जीजीएम के प0न0 378／471(40) के किला न0 2／0.2530 ,3／1 की 0.240 ,3／2 की 0.0130 ,4／0.2530 ,7／0.2530 ,8／0.2530 ,9／0.2530 ,10／.2530 ,कुल 1.7710हैक्ट भूमि गैरसायल संख्या 1 की खातेदारी भूमि है।

रोही मोजा चक 13 जीजीएम के प0न0 378／470(38) के किला न0 12／.2530 ,13／.2530 ,18／.2530 ,19／.2530 ,22／0.2530 ,23／0.2530 कुल 1.7710हैक्ट भूमि गैरसायल संख्या 2 की खातेदारी भूमि है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसर सायला एव गैरसायलान संख्या 1 ,2 दोनो खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं एक दुसरे के चिपते हुए खेत पडोसी है सायला के दो खेत है दोनो खेतों के मध्य गैरसायलान संख्या 1 ,2 की भूमि है जो प्रस्तुत रिकार्ड से पूर्णत्या साबित है।

सायला का कथन है कि सायला की भूमि दो टुकडों मु0न0 38 व मु0न0 40 में है जिनके मध्य गैरसायलान संख्या 1 ,2 की भूमि मु0न0 38 ,40 की भूमि है अर्थात सायला के दोनो खेतों के मध्य गैरसायलान संख्या 1 ,2 की भूमि है सायला का उक्त कथन प्रस्तुत नजरीय नक्शा से पूर्णत्या साबित है।

सायला का कथन है कि वह अपने खेत मु0न0 38 के किला न0 2 में डिग्गी बना रखी है जिससे मु0न0 38 की भूमि की सिचाई करती है सायला अपने मु0न0 40 के खेत की सिचाई करना चाहती है जिसके लिये गैरसायलान संख्या 1 ,2 के खेत मु0न0 38 ,40 में से पाईप लाईन डालना चाहती है।

गैरसायलान संख्या 1 ,2 का कथन है कि सायला की भूमि के पास से आम सडक चल रही है जिसके पास से [illegible] मु0न0 40 तक ले जा सकती है जिसके सम्बध में कोई ऐतराज नही है।

गैरसायलान संख्या 1 ,2 को [illegible] योग्य नही है सायला के खेतु मु0न0 38 और सडक के मध्य अन्य काश्तकार का [illegible] है जो प्रार्थना पत्र में पक्षकार भी नही है इसलिये गैरसायलान संख्या 1 ,2 ने सडक के पास से पाईप लाईन डालने का कथन

..3

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:52:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किया गया है सायला के खेत और आम सडक से पाईप लाईन डालने पर पाईप में मोड डालने होगे और अधिक दुरी तय करनी होगी एवं आम रास्ता के पास होने से कभी टुट सकती है तथा सायला के दोनो खेतों के मध्य केवल गैरसायलान संख्या 1 ,2 के खेत है और पाईप लाईन सीधी डाली जावेगी जिससे किसी काश्तकार का नुकसान भी नही होगा सायला को पाईप लाईन डालने के लिये भूमि में छ फुट गहराई में डालने के लिये पाबन्द किया जा सकता है जिससे अन्य काश्तकारों को भूमि काश्त करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके ।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार सायला के खेत मु0न0 38 से मु0न0 40 तक सिचाई हेतु पाईप लाईन डालना उचित है ताकि सायला अपनी भूमि में सिचाई कर सके मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया गया है कि सायला के मु0न0 38 से मु0न0 40 तक पाईप लाईन मु0न0 38 के किला न0 12 ,19 ,22 व मु0न0 40 के किला न0 2 ,9 में पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण पानी की पाईप लाईन डालना उचित है।

सायला के मु0न0 38 से मु0न0 40 में सिचाई हेतु पाईप लाईन डालने से किसी भी काश्तकार को कोई हित प्रभावित नही होते है सायला पाईप लाईन पर्याप्त गहराई में भूमि के अन्दर डाली जावेगी जिससे किसी भी काश्तकार को भूमि काश्त करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नही होगी।

उपरोक्त विवेचन अनुसार एवं प्रस्तुत मौका रिपोर्ट नजरीय नक्शा अनुसार सायला को अपने खेत मु0न0 38 से मु0न0 40 तक पाईप लाईन डालने की अनुमति दी जानी न्यायोचित है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा सायला को रोही मौजा चक 13 जीजीएम के प0न0 378/470(38) के किला न0 12 ,19 ,22 जो गैरसायल संख्या 1 की भूमि है में से एवं प0न0 378/471(40) के किला न0 2 ,9 जो गैरसायल संख्या 2 की भूमि है मे से पाईप लाईन छ (6) फुट गहराई में डालने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा सायला को निर्देशित किया जाता है कि वह पाईप लाईन निर्धारित गहराई मे डाल कर भूमि को वापस समतल पूर्व की भाती की जावे एवं उक्त आदेश भूमि पर फसल काश्त नही होने पर ही लागु होगा अर्थात यदि भूमि पर वर्तमान में फसल काश्त हो तो फसल निकालने के बाद पाईप लाईन डाली जावे इसी आश्य का आदेश तहसीलदार राजस्व नोहर को जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/10/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:52:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)